

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/22418/शिविरा पंचांग/2019-20/84 दिनांक: 28.06.2019

- 1) समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 2) समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान ।
- 3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
- 4) समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।

विषय :- शिविरा पंचांग वर्ष : 2019-20

प्रसंग :- शासन का पत्रांक : पं032(01)शिक्षा-1/2019 पार्ट-5 जयपुर, दिनांक : 26.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में वर्ष : 2019-20 (अवधि : 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक) का शिविरा पंचांग पत्र के संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। पंचांग के अनुरूप क्षेत्राधिकार में विद्यालय संचालन/विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन/क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
संलग्न : यथोपरि ।

www.rajteachers.com



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
10. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल.), राजस्थान, अजमेर।
11. उप निदेशक (खेलकूद), कार्यालय हाजा।
12. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
14. वरिष्ठ संपादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

शिक्षा विभाग, राजस्थान

पंचांग: 2019–2020

राजस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2019–2020 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारम्भिक/माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–प्रारम्भिक/माध्यमिक मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंसा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

➤ सामान्य निर्देश :-

1. शिक्षण सत्र: 2019–2020 दिनांक 01 मई, 2019 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 26 अप्रैल, 2019 से आरम्भ हो चुकी है। कक्षा 5 के जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, कक्षा-8 हेतु प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा व कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश बोर्ड परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल पश्चात दिया जाकर आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ग्रीष्मावकाश उपरांत पुनः नियमित शिक्षण कार्य 01 जुलाई, 2019 से आरम्भ हो जाएगा।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2019 रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु)
3. मध्यावधि अवकाश 22 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2019 तक रहेगा।
4. शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक रहेगा।
5. विद्यार्थियों हेतु ग्रीष्मावकाश 17 मई, 2020 से 30 जून, 2020 तक रहेगा।
(दिनांक : 24 जून से 30 जून, 2020 की अवधि में प्रवेशोत्सव-द्वितीय चरण का आयोजन होगा। इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से वंचित/हार्ड कोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय/आंगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टी0सी0/नव प्रवेशित विद्यार्थियों का एस.आर. रजिस्टर में पंजीयन सम्बन्धी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा।)
6. केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दूरदर्शन/समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
7. यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्शन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा।
8. यदि किसी वर्ग/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सभी विद्यालयों में लागू नहीं होगा।
9. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए।
10. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा।

11. प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को आयरन की **WIFS** पिक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र-छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की **WIFS** नीली गोली मध्यान्ह भोजन उपरान्त दी जाये।

➤ प्रवेश :-

1. कक्षा-1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई है।
2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी. ई. अधिनियम- 2009 के अनुसार बालक-बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।
3. राज्य कर्मचारी/माता-पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं, तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
5. हाउस हॉल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल (OOSC) के रूप में चिन्हित बालक-बालिकाओं की मैनस्ट्रीमिंग हेतु अनामांकित बालक-बालिकाओं के माता-पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।
6. ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग-उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित एवं ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO)की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं।

➤ प्रार्थना सभा :-

प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधियां – राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं।

➤ विद्यालय प्रबन्धन :-

विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SMC/SDMC) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :-

1. एक मुश्त स्कूल ग्रांट, जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे चॉक, डस्टर, स्टेशनरी, परीक्षा संबंधित कार्य, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती है। इस राशि में से शौचालय/मूत्रालयों की साफ-सफाई हेतु प्रतिमाह 150 रु. का उपयोग कर इनका उपयुक्त रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए)। जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा

अभियान) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयों को 500 रु. प्रतिमाह की दर से 5000 रुपये वार्षिक (10 माह हेतु) शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा के रख-रखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2. प्रत्येक विद्यार्थी की "शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

➤ कालांशवार समय विभाजन :-

प्रतिदिन 8 कालांश में से ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन विद्यालय संचालन समयानुरूप अग्रांकित विवरणानुसार कालांशवार समय विभाजन चक्र रहेगा। प्रार्थना सभा तथा मध्यान्तर, प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है।

समय सारिणी :-

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय	7:30 बजे से 1:00 बजे तक (कुल 5:30 घंटे)	10:00 बजे से 4:00 बजे तक (कुल 6:00 घंटे)
5	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	7:30 बजे से 7:55 बजे तक (25 मिनट)	10:00 बजे से 10:25 बजे तक (25 मिनट)
6	प्रथम कालांश	7:55 बजे से 8:30 बजे तक (35 मिनट)	10:25 बजे से 11:05 बजे तक (40 मिनट)
7	द्वितीय कालांश	8:30 बजे से 9:05 बजे तक (35 मिनट)	11:05 बजे से 11:45 बजे तक (40 मिनट)
8	तृतीय कालांश	9:05 बजे से 9:40 बजे तक (35 मिनट)	11:45 बजे से 12:25 बजे तक (40 मिनट)
9	चतुर्थ कालांश	9:40 बजे से 10:15 बजे तक (35 मिनट)	12:25 बजे से 1:05 बजे तक (40 मिनट)
10	मध्यान्तर	10:15 बजे से 10:40 बजे तक (25 मिनट)	1:05 बजे से 1:30 बजे तक (25 मिनट)
11	पंचम कालांश	10:40 बजे से 11:15 बजे तक (35 मिनट)	1:30 बजे से 2:10 बजे तक (40 मिनट)
12	षष्ठम कालांश	11:15 बजे से 11:50 बजे तक (35 मिनट)	2:10 बजे से 2:50 बजे तक (40 मिनट)
13	सप्तम कालांश	11:50 बजे से 12:25 बजे तक (35 मिनट)	2:50 बजे से 3:25 बजे तक (35 मिनट)
14	अष्टम कालांश	12:25 बजे से 01:00 बजे तक (35 मिनट)	3:25 बजे से 04:00 बजे तक (35 मिनट)

➤ नोट :- शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छः कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा-खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध-लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक/ माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-

प्रारम्भिक/ माध्यमिक परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव सम्भागीय संयुक्त निदेशक को 15 जुलाई, 2019 तक प्रस्तुत करेंगे तथा सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्पूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 31 जुलाई, 2019 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अवगति प्रदान करेंगे।

2. दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :-

क्र.सं.	अवधि	विद्यालय संचालन का समय
I.	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 7:00 से सांय 6:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)
II.	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 7:30 से सांय 5:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे)

- दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10:00 से सांय 5:00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वैच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
- निदेशक,शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा आकाशवाणी के सहायोग से विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के तहत कक्षा – 3 से 12 तक के लिए चयनित विषयों के पाठ्यक्रम आधारित चयनित पाठ, गैर पाठ्यक्रम आधारित पाठ तथा बोर्ड कक्षाओं के विभिन्न विषयों पर परीक्षामालाओं का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा करवाया जाता है। समस्त संस्था प्रधान छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से स्वयं के विद्यालय में रेडियो की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के तहत किये जा रहे प्रसारण को अनिवार्यतः सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2019 से स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 12:40 बजे से 1:00 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जाएगा।
- राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो, अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए। "समग्र शिक्षा अभियान के औपचारिक व वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ" द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 5000/- से 20000/- रु तक पुस्तकालय अनुदान के रूप में राशि का प्रावधान किया गया है।
- राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएं एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएं निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए :-

1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर

इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।

➤ सहशैक्षिक गतिविधियां :-

1. समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
2. सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब एवं रोड सेफ्टी क्लब" की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए।
3. समस्त विद्यालयों में माह में तीन बार बाल सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें सामान्यतया एक बाल सभा माह में पड़ने वाली अमावस्या को तथा अन्य दो बाल सभा अमावस्या के आगे-पीछे आने वाले शनिवार को छोड़ते हुए अन्य दो शनिवार को आयोजित होगी। माह में एक बाल सभा निदेशालय द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22432/उत्सव/2014-17 दिनांक : 15.02.2019 एवं अनुवर्ती निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य /मा-स/22432/उत्सव/2018-19 दिनांक : 18.4.19 में प्रदत्त निर्देशानुसार गांव/वास स्थान के सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर आयोजित की जाएगी तथा अन्य बाल सभाएं विद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। बाल सभा में बच्चों को बाल संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दों पर बाल चलचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण आदि के माध्यम से उनमें बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी प्रकार बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित हैं, को बुलाकर उनसे सम्बोधन कराया जाए। विद्यालय में बाल सभाओं व उत्सवों के आयोजन का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।
4. माह के अंतिम शनिवार को समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा एक कालांश में स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
5. सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2019 तक मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा-उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2019 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) एवं "सखा-संगम" जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं। इस वर्ष "गांधी सार्ध शताब्दी महोत्सव" के विशिष्ट आयोजन के दृष्टिगत समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति एवं दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में "स्वच्छता एवं साफ-सफाई की अनिवार्यता" विषयक उद्बोधन तथा सामूहिक श्रमदान द्वारा विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियां अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाए।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

7. प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों के लिए खेलकूद सामग्री क्रय किए जाने हेतु "समग्र शिक्षा अभियान के औपचारिक व वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ" द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 5000/- से 25000/- रू तक की राशि का प्रावधान किया गया है।
8. समस्त विद्यालयों में "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)" की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन ही आयोजित की जाएगी। "समग्र शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ" के प्लान के अनुसार "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)" की उक्त बैठकों को "समुदाय जागृति दिवस" के रूप में मनाया जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)" हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप करवाया जाएगा।

➤ प्रबोधन एवं प्रबन्धन :-

1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं, यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान यू-डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।
2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रख-रखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलिटी ग्राण्ट/मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो-दो कालांश प्रति कक्षा लगवाए जाएं एवं विद्यालय में उपलब्ध ई-कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाए।
3. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), उदयपुर के विज्ञान एवं गणित विभाग द्वारा सत्र के प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में निर्धारित समयानुसार विज्ञान मेला, जनसंख्या शिक्षा आधारित प्रशिक्षण, विज्ञान, गणित एवं एन.एम.एम.एस. से सम्बन्धित कुल 8 वी.सी. (वर्ष भर में) आयोजित की जाएगी।

➤ उत्सव एवं अवकाश :-

1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएं।
2. उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो, तो उसे एक दिन पहले/बाद में मनाया जाए। उत्सव के दिन आठों कालांश में शिक्षण कार्य करवाया जाए। उत्सव आयोजन हेतु प्रत्येक कालांश में से 5-5 मिनट अवधि घटाकर आठवें कालांश के पश्चात् शेष रहे समय में उत्सव मनाया जाए।
3. 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।
4. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे।
5. प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2019 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें।
6. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

➤ **मूल्यांकन एवं परीक्षा :-**

1. कक्षा – 6 से 12 की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा-8 में डाईट तथा कक्षा – 10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल, 2020 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
2. कक्षा – 1 से 5 में SIQE के अन्तर्गत CCE के तहत तीन योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार सम्पादित किए जाएंगे :-

टर्म	पाठ्यक्रम विभाजन	योगात्मक आकलन आयोजन माह
प्रथम	लगभग 45 %	सितम्बर – 2019
द्वितीय	लगभग 40 %	जनवरी – 2020
तृतीय	लगभग 15 %	बोर्ड परीक्षा से पूर्व

कक्षा – 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथियां पृथक से निर्धारित की जाएगी।

3. परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।
4. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
6. एस.आई.क्यू.ई./सी.सी.ई. संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।
7. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक : प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांक: 27.10.2014 की पालना की जाए।

➤ **पूरक परीक्षा :-**

माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 13 से 15 मई, 2020 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 16 मई, 2020 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

.....

शिविरा पंचांग : जुलाई-2019

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस	27	रविवार 04	अवकाश 00	उत्सव 03	

01 जुलाई	ग्रीष्मावकाश उपरान्त विद्यार्थियों हेतु नियमित कक्षा शिक्षण प्रारम्भ ।
02 जुलाई	वृहद सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर आयोज्य ।
04 से 06 जुलाई	कक्षा – 9 एवं 11 (सत्र : 2018–19) की पूरक परीक्षा का आयोजन ।
08 जुलाई	पूरक परीक्षा परिणाम(सत्र : 2018–19) की घोषणा एवं प्रगति-पत्र का वितरण ।
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस (उत्सव) (RSCERT)
13 जुलाई	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
15 जुलाई	SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण करवाना ।
16 जुलाई	गुरु पूर्णिमा (उत्सव)
22 जुलाई	जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार (RSCERT)
23 जुलाई	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव)
27 जुलाई	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
जुलाई के चतुर्थ सप्ताह में	सत्रारम्भ की संस्था प्रधान वाक्पीठ (प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा.विद्यालय) का आयोजन (22 से 27 जुलाई की अवधि में दो दिवस के लिए)

नोट :- विद्यालयों द्वारा वर्षा आरम्भ होते ही वृक्षारोपण का कार्य करना ।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6–12), **WIFS** पिक गोली (कक्षा 1–5)
- सितम्बर-2019 : विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तर पर आयोजन।(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर)

शिविरा पंचांग : अगस्त-2019

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरुवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	31
कार्य दिवस	25	रविवार 04	अवकाश	02	उत्सव 04
01 अगस्त	"असहयोग आंदोलन" के प्रारम्भ के स्मरण में समस्त विद्यालयों में "असहयोग आंदोलन" से सम्बन्धित भाषण/निबन्ध/पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन (गांधी सार्ध शताब्दी महोत्सव)।				
03 अगस्त	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)				
09 अगस्त	कृषि मुक्ति दिवस-समस्त विद्यार्थियों को डिजिटिंग दवा (एल्बेडाजॉल) खिलाएं।				
09 अगस्त से 15 अगस्त (स्वाधीनता सप्ताह)	"भारत छोड़ो आंदोलन" के प्रारम्भ के स्मरण में समस्त विद्यालयों में महात्मा गांधी तथा "स्वतंत्रता संग्राम एवं शहीदों" से सम्बन्धित विभिन्न भाषण/क्विज/निबन्ध/पेंटिंग/पोस्टर प्रतियोगिता का विद्यालय एवं जिला स्तर पर सतत् आयोजन (गांधी सार्ध शताब्दी महोत्सव)।				
12 अगस्त	ईदुल जुहा (अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार)				
15 अगस्त	स्वतंत्रता दिवस (अवकाश-उत्सव अनिवार्य), रक्षा बन्धन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव), महात्मा गांधी एवं स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित विशिष्ट चित्र प्रदर्शनी का आयोजन (गांधी सार्ध शताब्दी महोत्सव)।				
16 अगस्त	SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्न करना।				
17 अगस्त से पूर्व	प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समूह की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का अनिवार्य रूप से आयोजन।				
17 अगस्त	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)				
19 अगस्त	मौप अप दिवस - कृषि मुक्ति दिवस (09 अगस्त-2019) को वंचित रहे विद्यार्थियों को डिजिटिंग दवा (एल्बेडाजॉल) खिलाएं।				
20 अगस्त	सद्भावना दिवस-राजीव गांधी जयन्ती				
19-21 अगस्त	प्रथम परख का आयोजन				
22 से 23 अगस्त	जिला स्तरीय नेहरू हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन।				
24 अगस्त	जन्माष्टमी (अवकाश-उत्सव)				
26 अगस्त	राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार (RSCERT)				
27 से 29 अगस्त	राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन।				
30 अगस्त	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन -सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर आयोज्य, PTM-I का आयोजन।				
31 अगस्त	SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु निविदा कार्यवाही उपरांत क्रयदेश/कार्यादेश जारी करना				

- प्रत्येक सोमवार - **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिंक गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : सितम्बर-2019

रविवार	29	1	8	15	22
सोमवार	30	2	9	16	23
मंगलवार		3	10	17	24
बुधवार		4	11	18	25
गुरुवार		5	12	19	26
शुक्रवार		6	13	20	27
शनिवार		7	14	21	28
कार्य दिवस	22	रविवार 05		अवकाश 03	उत्सव 04

1 से 5 सितम्बर	प्रथम समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस (उत्सव)– राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डियों की बिक्री का शुभारम्भ
5 से 9 सितम्बर	द्वितीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)
8 सितम्बर	विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव), रामदेव जयन्ती/तेजा दशमी (अवकाश-उत्सव)
10 सितम्बर	मोहर्रम (अवकाश-चन्द्र दर्शनानुसार)
13 से 18 सितम्बर	प्रथम समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
14 सितम्बर	हिन्दी दिवस (उत्सव), सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
17 से 18 सितम्बर	जिला स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता (RSCERT)
20 से 21 सितम्बर	जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)
21 से 27 सितम्बर	द्वितीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
22 से 24 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (ब्लॉक स्तरीय)
23 सितम्बर	किशोर जागृति दिवस (RSCERT)
25 से 27 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (जिला स्तरीय)
26 सितम्बर से 2 अक्टूबर	सार्वजनिक जीवन में "सादा जीवन, उच्च विचार", स्वदेशी आंदोलन तथा चरखा, आत्मिक शुद्धि के लिए उपवास, अहिंसात्मक विरोध "सत्याग्रह" तथा गांधीवादी सिद्धान्तों पर विभिन्न प्रकार की नाट्य प्रतियोगिता,वाद-विवाद एवं आशुभाषण प्रतियोगिता का विद्यालय एवं जिला स्तर पर आयोजन। ("गांधी सार्ध शताब्दी महोत्सव" के समापन सप्ताह में)
28 सितम्बर	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर आयोज्य ।
29 सितम्बर	नवरात्र स्थापना (अवकाश)
30 सितम्बर	1. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झण्डियों की बिक्री से प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना । 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से किए जाने वाले कार्य/क्रय कार्यवाही पूर्ण करना ।

नोट- 1. प्रथम योगात्मक आकलन का आयोजन – CCE /SIQE संचालित विद्यालयों में (माह के अन्तिम सप्ताह में)।

2. 24 सितम्बर – राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है) ।

3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तर पर आयोजन ।

प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिंग गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : अक्टूबर-2019

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरुवार	3	10	17	24	31
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	
कार्य दिवस	17	रविवार 04	अवकाश 10	उत्सव	03

1 अक्टूबर	विद्यालय समय परिवर्तन – 1. एक पारी विद्यालय – प्रातः 10:00 से 04:00 बजे तक। 2. दो पारी विद्यालय – प्रातः 07:30 से सायं 05:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:00 घंटे)
1 से 4 अक्टूबर	तृतीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं (एथलेटिक्स) का आयोजन।
2 अक्टूबर	महात्मा गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती (उत्सव)
4 से 5 अक्टूबर	जिला स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेला (RSCERT)
5 अक्टूबर	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
6 अक्टूबर	दुर्गाष्टमी (अवकाश)
8 अक्टूबर	विजयादशमी (अवकाश)
9 से 11 अक्टूबर	जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी (RSCERT)
11 से 16 अक्टूबर	तृतीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं (एथलेटिक्स) का आयोजन
17 से 19 अक्टूबर	द्वितीय परख।
19 अक्टूबर	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर आयोज्य।
22 अक्टूबर से 02 नवम्बर	मध्यावधि अवकाश।
24 अक्टूबर	संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव)
27 अक्टूबर	दीपावली (अवकाश)
28 अक्टूबर	गोवर्धन पूजा (अवकाश)
29 अक्टूबर	भैया दूज (अवकाश)
31 अक्टूबर	सरदार वल्लभ भाई पटेल जयन्ती (राष्ट्रीय एकता दिवस) इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस)–उत्सव

नोट — माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल एवं उन्नयन प्रतियोगिता का जिला स्तर पर आयोजन।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6–12), **WIFS** पिंक गोली (कक्षा 1–5)

शिविरा पंचांग : नवम्बर-2019

रविवार		3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरुवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30
कार्य दिवस	21	रविवार 04	अवकाश	05	उत्सव 05

7 से 8 नवम्बर	राज्य स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता (RSCERT)
9 नवम्बर	कालिदास जयन्ती, सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में), PTM-II (माँ-शिक्षक बैठक - MTM) का आयोजन।
10 नवम्बर	बारावफात (अवकाश-चन्द्र दर्शनानुसार)
11 नवम्बर	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव)
11 से 12 नवम्बर	तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन
12 नवम्बर	गुरु नानक जयन्ती (अवकाश-उत्सव)
14 नवम्बर	बाल दिवस (पं. जवाहर लाल नेहरू जयन्ती)-(उत्सव), सामुदायिक बाल सभा का आयोजन -सार्वजनिक स्थल/ चौपाल पर आयोज्य ।
17 नवम्बर	नेशनल मिन्स कम मेरिट परीक्षा (RSCERT)
18 से 19 नवम्बर	जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता
19 नवम्बर	राष्ट्रीय एकीकरण दिवस (श्रीमती इन्दिरा गांधी जयन्ती)-उत्सव
19 से 25 नम्बर	कौमी एकता सप्ताह का आयोजन।
22 से 23 नवम्बर	राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)
27 से 30 नवम्बर	राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी (RSCERT)
26 नवम्बर	संविधान दिवस (उत्सव)

नोट - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा -(अ)राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा,(ब) राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, (स) राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन ।

- प्रत्येक सोमवार - **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिक गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : दिसम्बर-2019

रविवार	29	1	8	15	22
सोमवार	30	2	9	16	23
मंगलवार	31	3	10	17	24
बुधवार		4	11	18	25
गुरुवार		5	12	19	26
शुक्रवार		6	13	20	27
शनिवार		7	14	21	28
कार्य दिवस 20	रविवार 05		अवकाश 06	उत्सव 02	

01 दिसम्बर	विश्व एकता दिवस (उत्सव), विश्व एड्स दिवस (RSCERT)।
05 – 06 दिसम्बर	मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन
07 दिसम्बर	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
10 दिसम्बर	मानव अधिकार दिवस (उत्सव)
10-23 दिसम्बर	अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का आयोजन
12 से 13 दिसम्बर	मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर चयन व दल गठन।
17-22 दिसम्बर	मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।
24 दिसम्बर	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/ चौपाल पर आयोज्य।
25 दिसम्बर	क्रिसमस डे (अवकाश)
25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर	शीतकालीन अवकाश (विभाग के समस्त आहरण – वितरण अधिकारियों द्वारा राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान हेतु माह दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्यवाही सुनिश्चित करना)
26 से 28 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
27 से 30 दिसम्बर	मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन।
29 से 31 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता।

नोट- जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है, उन विद्यालयों में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन शीतकालीन अवकाश के दौरान ही किया जाए।

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल शिविर का आयोजन।
- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिक गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : जनवरी-2020

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस 28	रविवार 04 (12 जनवरी –बाल सभा, 26जनवरी-गणतंत्र दिवस)		अवकाश 01		उत्सव 06

02 जनवरी	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती(अवकाश- उत्सव)
04 जनवरी	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में), PTM-III का आयोजन ।
08 से 10 जनवरी	राज्य स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेला (RSCERT)
12 जनवरी	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस-उत्सव), सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर (रविवार), "केरियर डे के उपलक्ष्य में" ।
15 जनवरी	मकर सक्रान्ति (उत्सव)
23 जनवरी	सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव)
25 जनवरी	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
26 जनवरी	गणतंत्र दिवस (अवकाश-उत्सव अनिवार्य) ।
30 जनवरी	शहीद दिवस (प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन)(महात्मा गांधी पुण्य तिथि) बसन्त पंचमी/सरस्वती जयन्ती (उत्सव), गार्गी पुरस्कार समारोह, बालिका दिवस आयोजन ।

नोट- 1. द्वितीय योगात्मक आकलन का आयोजन – CCE /SIQE संचालित विद्यालयों में (माह के अन्तिम सप्ताह में) ।

2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन एवं विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का जिला स्तर पर आयोजन ।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिंक गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : फरवरी-2020

रविवार		2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस	24	रविवार 04	अवकाश 01	उत्सव 03	

08 फरवरी	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
10 फरवरी	कृमि मुक्ति दिवस-समस्त विद्यार्थियों को डिजिटिंग दवा (एल्बेंडाजॉल) खिलाएं।
11 फरवरी	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित इण्टरनेट दिवस (RSCERT)
13 से 15 फरवरी	तृतीय परख का आयोजन
14 फरवरी	मॉप अप दिवस – राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी-2020) को वंचित रहे विद्यार्थियों को डिजिटिंग दवा (एल्बेंडाजॉल) खिलाएं।
फरवरी के तृतीय सप्ताह में	सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ (प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि) का आयोजन (17 से 22 फरवरी की अवधि में)
15 फरवरी	सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
18 फरवरी	स्वामी दयानन्द जयन्ती (उत्सव),राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (उत्सव) (RSCERT)
21 फरवरी	महा शिवरात्रि (अवकाश-उत्सव)
22 फरवरी	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर
28 फरवरी	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (RSCERT)
नोट :-	1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिंग गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : मार्च-2020

रविवार	29	1	8	15	22
सोमवार	30	2	9	16	23
मंगलवार	31	3	10	17	24
बुधवार		4	11	18	25
गुरुवार		5	12	19	26
शुक्रवार		6	13	20	27
शनिवार		7	14	21	28
कार्य दिवस	23	रविवार 05	अवकाश	03	उत्सव 03

09 मार्च	होलिका दहन (अवकाश)
10 मार्च	धुलण्डी (अवकाश)
15 मार्च	विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव)
25 मार्च	चेटीचण्ड (अवकाश-उत्सव)
30 मार्च	राजस्थान दिवस (उत्सव)

नोट – माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन।

बोर्ड परीक्षा आयोजन के कारण सामुदायिक बाल सभा आयोजन स्थगित रखा गया है।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6–12), **WIFS** पिंग गोली (कक्षा 1–5)

शिविरा पंचांग : अप्रैल-2020

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस	21	रविवार 04	अवकाश 05	उत्सव 03	

01 अप्रैल	विद्यालय समय परिवर्तन – 1. एक पारी विद्यालय – प्रातः 07:30 से दोपहर 01:00 बजे तक। 2. दो पारी विद्यालय – प्रातः 07:00 से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:30 घंटे)
02 अप्रैल	रामनवमी(अवकाश-उत्सव)
06 अप्रैल	महावीर जयन्ती, अहिंसा दिवस (अवकाश-उत्सव)
10 अप्रैल	गुड-फ्राइडे (अवकाश)
09 से 24 अप्रैल	वार्षिक परीक्षा का आयोजन
14 अप्रैल	डॉ० बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती-ज्ञान दिवस (अवकाश -उत्सव)
25 अप्रैल	परशुराम जयन्ती
27 अप्रैल	विद्यालय में आगामी सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया का आरम्भ एवं नामांकन हेतु विद्यार्थियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ।
30 अप्रैल	वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा परीक्षा परिणामों की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रेषित करना। सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार-विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। अभिभावक-अध्यापक बैठक (PTM-IV) एवं SDMC/SMC की साधारण सभा का संयुक्त रूप से आयोजन एवं करणीय कार्यों के संबंध में प्रस्ताव पारित करना।

नोट :- SIQE संचालित विद्यालयों में कक्षा 5 हेतु सम्बन्धित जिले की DIET द्वारा तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" किया जाएगा, जिसकी तिथियां पृथक् से घोषित की जाएगी। कक्षा- 1 से 4 में तृतीय योगात्मक आकलन का आयोजन उक्त मूल्यांकन से पूर्व किया जाएगा।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिक गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : मई-2020

रविवार	31	3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरुवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30
कार्य दिवस	14	रविवार 05	अवकाश 12		उत्सव 02

01 मई	नवीन सत्र : 2020-21 प्रारम्भ ।
01 से 16 मई	प्रवेशोत्सव – प्रथम चरण का आयोजन
07 मई	रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती (उत्सव)
13 से 15 मई	पूरक परीक्षा का आयोजन ।
16 मई	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर, पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति-पत्र का वितरण ।
17 मई से 30 जून	ग्रीष्मावकाश
25 मई	ईदुल फितर (अवकाश- चन्द्र दर्शनानुसार) एवं महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश उत्सव)
नोट :-	<ol style="list-style-type: none"> 1. संस्था प्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हों, तो वह विद्यार्थियों को टी0सी0 जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को टी0सी0 पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करावें तथा इसका अनुमोदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराकर संबंधित को पाबन्द करें, ताकि विद्यार्थियों को टी0सी0 प्राप्त करने में कोई असुविधा न हों। 2. "राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा- द्वितीय स्तर" (कक्षा-8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु) का आयोजन । 3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल शिविर का आयोजन ।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6-12), **WIFS** पिक गोली (कक्षा 1-5)

शिविरा पंचांग : जून-2020

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस	06	रविवार 04	अवकाश 20	उत्सव 02	

01 से 30 जून	ग्रीष्मावकाश (विद्यार्थियों हेतु)
21 जून	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (अवकाश – उत्सव) : समस्त विद्यालयों में प्रातः 7 से 8 बजे तक उत्सव आयोजन।
24 जून	1. ग्रीष्मावकाश उपरांत शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ। 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन एवं सत्र पर्यन्त कार्य योजना का अनुमोदन।
24 से 30 जून	प्रवेशोत्सव-द्वितीय चरण का आयोजन। इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से वंचित/हार्ड कोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय/आंगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टी0सी0/नव प्रवेशित विद्यार्थियों का एस.आर. रजिस्टर में पंजीयन सम्बन्धी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा।
28 जून	भामाशाह जयन्ती (उत्सव),राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन।
30 जून	SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जाना।

नोट : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन।

- प्रत्येक सोमवार – **WIFS** नीली गोली (कक्षा 6–12), **WIFS** पिंक गोली (कक्षा 1–5)